न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।

धारा 107 दं0प्र0सं0

प्रथम पक्ष – एलिस सुरीन ....बगैरह ।

बनाम

वाद सं0 64 / 2023

द्वितीय पक्ष – असफ करेकट्टा,..... बगैरह।

आदेश की क्र0 सं0 एवं तिथि	दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी
	थाना कामडारा के अप्राथमिकी सं0 13 / 2023 दिनांक 09 / 07 / 2023 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि **प्रथम पक्ष (1)** एलिस सुरीन, उम्र 67 वर्ष पति बिमल होरो, ग्राम कामडारा ब्लॉक चौक एवं (2) बिलासी तोपनो उम्र 66 वर्ष पति स्व0 जॉनधान, ग्राम पोजे बडकाटोली दोनो थाना कामडारा जिला गुमला **बनाम द्वितीय पक्ष** (1) असफ करेकट्टा उम्र 58 वर्ष पिता स्व0 याकुब केरकेट्टा (2) पौलिना केरकेट्टा उम्र 52 वर्ष पति असफ केरकेट्टा (3) सयुन केरकेट्टा उम्र 23 वर्ष पिता असफ केरकेट्टा (4) भिंसेट केरकेट्टा उम्र 35 वर्ष पिता जीवन मसिह केरकेट्टा सभी ग्राम सुरूहू (5) नंदिता राव उम्र 41 वर्ष पति स्व0 समीर बारला ग्राम बरटोली कामडारा थाना कामडारा, जिला गुमला के कामडारा थाना रिसीट सं0 96– 100 / 023 दिनांक 01 / 07 / 2023 जमीनी विवाद को लेकर विवाद एवं तनाव बना है, फलस्वरूप उभय पक्ष के द्वारा अशांति फैलाने विधि–व्यवस्था की सम्भावना उत्पन्न हो सकती है। उभय पक्ष को न्यायालय में उपस्थित होने हेतु नोटिस निर्गत किया गया उभय पक्ष न्यायालय में उपस्थित। उक्त वाद की कार्रवाई के दौरान उभय पक्ष के बीच किसी प्रकार से शांति भंग होने संबंधी सूचना थाना प्रभारी कामडारा या अन्य स्रोत से अप्राप्त है। उक्त वाद की समय अवधि समाप्त हो चुकी हैं। अतः उभय पक्षों के बीच उक्त वाद की कार्रवाई के समय अवधि में किसी प्रकार की शांति भंग होने की सूचना अप्राप्त एवं वाद की कार्रवाई की समयअवधि समाप्त होने के कारण उक्त वाद की कार्रवाई बिना गुण दोष के समाप्त की जाती है। लेखापित । 9/7/24 अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया (गुमला)।	

Digitally signed by JAIWANTI DEOGAM
Date: 2024.07.09 14:09:52 +05:30
Location: 192.168.1.10